



कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

क/एफ-169/स्टे.आयु./2021-22/4008

भिलाई, दिनांक 17/09/2021

// आदेश //

नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्रांतर्गत जिन भूमि-स्वामियों द्वारा रिक्त भूमि पर नये भवन निर्माण अनुज्ञा प्राप्त करने आवेदन प्रस्तुत किये जाते हैं, उन्हें भवन निर्माण अनुज्ञा जारी करने के पूर्व रैन वॉटर हारवेस्टिंग निर्माण के लिये अमानत राशि जमा कराया जाता है। जिसे भवन निर्माण पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने के पूर्व स्थल जांच निरीक्षण उपरांत रैन वॉटर हारवेस्टिंग सिस्टम निर्माण पूर्णता की स्थिति में अमानत राशि वापस करने अन्यथा रैन वॉटर हारवेस्टिंग सिस्टम का निर्माण भवन निर्माणकर्ता के स्थल पर नहीं पाये जाने की स्थिति में अमानत राशि राजसात करने हेतु छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 69(4) का उपयोग करते हुए श्री ए.के. द्विवेदी, अपर आयुक्त, न.पा.नि भिलाई को आयुक्त की शक्तियां प्रत्यायोजित किया जाता है।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।


(प्रकाश कुमार सर्वे)
रा.प्र.से.

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

भिलाई, दिनांक 17/09/2021

पृ. क/एफ-166/स्टे.आयु./2021-22/4009
प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर सह प्रशासक, नगर पालिक निगम भिलाई को सादर सूचनार्थ।
2. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, दुर्ग, जिला-दुर्ग को सूचनार्थ।
3. श्री ए.के. द्विवेदी, अपर आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
4. अधीक्षण अभियंता I/II, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
5. उपायुक्त, I/II, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
5. जोन आयुक्त/कार्यपालन अभियंता, जोन-1,2,3,4 एवं 5, जलकार्य/वाहन/स्टोर्स/उद्यान/कम्प्युटर/भवन संधारण, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
7. भवन निर्माण अधिकारी, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
8. संबंधित विभाग प्रमुख नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
9. अधीक्षक स्थापना, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।


आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई